MR. SPEAKER : They can advise each other.

श्री अशोक मेहता : टेक्स ज्यादा होने की वजह से उस हालत में भी इल्लिसिट डिस्टिलेशन होता है । कम अल्कोहल वाली ब्रिक्स बनाई जायं, इसके बारे में राज्य सरकारें ही कर सकती हैं । जहां तक यूनिफार्म पालिसी की बात है, सारे राज्यों को एक चीज के लिये राजी करना बड़ा मुश्किल है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप अपनी नीति तो बतलाइये ।

श्री अशोक मेहता : हमारी नीति साफ है । हम डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स पर अमल कराने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं । लेकिन अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स और असेम्बलीज की नीति अलग अलग है और उनके अनुभव भी अलग अलग हैं । कहीं पर प्रोहिबिशन होता है तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और कहीं अगर नहीं होता है तो लोग उसके हक में हो जाते हैं । इस पर जनमत तैयार करने की आवश्यकता है ।

आयकर का निर्धारण

*1650 **श्री कंवर लाल गुप्त** :

श्री टी० पी० शाह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में आय-कर के ऐसे कितने मामलों में पुनः निर्धारण का काम किया गया जिनमें पहली बार जो कर का निर्धारण किया गया था वह दो लाख रुपये से अधिक था, और

(ख) ऐसे करदाताओं के नाम और पते क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) . सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे इकट्ठा करने के लिये उन सभी फाइलों की जांच करनी होगी जिनमें फिर से कर-निर्धारण की कार्यवाही की गयी थी । इसमें बहुत सारा समय तथा श्रम लगेगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मुझे यह कहना है कि मन्त्री महोदय का यह कहना गलत है कि इसमें टाइम और लेबर की बहुत जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस तरह के जो बड़े बड़े केसेज होते हैं उनकी लिस्ट कमिश्नर के पास होती है । मन्त्री महोदय उसको सभा पटल पर नहीं रखना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि इस इश्यु को इवेड करना चाहते हैं लेकिन कमिश्नर के पास लिस्ट रहती है, उसकी मरजी के बगैर इतने बड़े बड़े केसेज रीओपेन नहीं हो सकते हैं ।

अब मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह जो बड़े बड़े केसेज हैं जिनकी रकम दो लाख या एक लाख से ऊपर है इनमें ही सबसे ज्यादा इवेजन होता है क्योंकि इन लोगों के पास टैक्निकल नालेज होती है, इनके पास एक्सपर्टस् और एकाउन्टेन्ट्स होते हैं और बड़े बड़े पब्लिक रिलेशन्स आफिसर होते हैं । उनका ठीक असेस्मेन्ट हो, उनके ऊपर कन्सेन्ट्रेशन हो सके, उसके लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष जी, सदन से कोई भी सूचना छिपाने की मंशा कभी भी सरकार की नहीं हो सकती है । इसमें जो इस वक्त की वस्तुस्थिति है वह मैंने सदन के सामने रखी । वैसे मेरे पास, कुल जितने असेस्मेन्ट रिओपैन हुये सन् 64-65 और 65-66 में उसके आंकड़े हैं और वह इस प्रकार हैं । सन् 64-65 में 40,502 और 65-66 में 52,140 । अब इसका, आमदनी के हिसाब से अलग अलग वर्गीकरण करने में बड़ा समय लगेगा ।

अब जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि ऊंची इनकम के जो केसेज हैं उन पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाये, तो उसके लिये सेन्ट्रल सर्किल सब जगह क्रिएट किये जाते हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह तो मालूम है कि सेन्ट्रल सर्किल क्रिएट किये जाते हैं लेकिन मेरा सवाल यह था कि बड़े बड़े केसेज पर वाच रखने के लिये क्या कदम उठाये गये, यह आपने नहीं बताया ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह तो उनका काम ही है, वे इस चीज को देखते हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों में किसी भी इनकम टैक्स असेसी के विरोध में आपने प्राजीक्यूशन किया है और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे केसेज हैं जिन में यह साबित हो गया है कि उन्होंने जान बूझ कर रुपया छिपाया है ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : May I say that during the discussion on the Finance Bill I had given figures of prosecution during the last four or five years ? If the hon. Member does not want to remember them, it is not my fault. I had said that even this year there are 20 prosecutions which are being launched. Therefore, more and more procecutions are being launched, and I have now told the Department that wherever there is any evidence for prosecution, there should be a prosecution.

SHRI P. GOPALAN : It has been admitted by Government themselves that during the last ten years Government have allowed income-tax arrears to be accumulated in large amounts, and later on in many cases these were partially or totally written off. There is a strong opinion in the country that the assessees could manage to accumulate these arrears mainly with the connivance of the officials concerned. Will Government conduct an independent probe into the State of affairs of these arrears and the role played by income-tax officers in the accumulation of these arrears ?

SHRI K. C. PANT : Arrears have mounted and Government have placed before the House on various occasions details of steps they are taking to liquidate them. But may I point out that the figures which are given are not all collectible arrears. They include arrears which have not become due for payment, but which, have become due on a certain date. A certain period of time is allowed during which the payment should be made. They also include arrears which are very difficult to collect and which have been pending for a number of years, but which are not written off because we want to make absolutely certain that so long as there is any hope of collection, we do not write them off. Thirdly, a lot of these arrears are tied up in appellate procedures, before the Appellate Assistant Commissioner's and the Tribunal and in the High Courts and Supreme Court. These facts have got to be kept in mind when assessing the total arears.

SHRI MORARJI DESAI : As regards his demand for an inquiry, it is very wrong to say that all income-tax officers are like that. But if individual cases are pointed out, we will certainly hold an inquiry.

श्री शशिभूषण वाजपेयी : मंत्री महोदय ने यह जो इनकमटैक्स लगभग 500 करोड़ रुपये का बड़े लोगों पर बताया साथ-साथ डैथ डेयूटी राजा, महाराजाओं की वह कितनी बकाया है और अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस बात के लिए सजाएं दी गई हैं कि वह टैक्स नहीं देते हैं ?

SHRI K. C. PANT : Part three has been answered by the Deputy Prime Minister. Part two—I do not have information with me now. As for part one, what I have said in reply to an earlier question is relevant. The total was some Rs. 500 crores as on a certain date, I think 31st March, 1967. It has been reduced by a considerable amount, Rs. 200 crores or so. There is also a certain amount tied up in appellate procedures.

श्री मधु लिमये : वित्त विधेयक के दूसरे वाचन पर बोलते समय मंत्री महोदय का ध्यान मैंने चार व्यक्तियों के मामलों की ओर दिलाया था तो उस वक्त मंत्री महोदय ने कहा था कि वे मुकद्दमें वगैरह करेंगे, केसेज लगातार करते रहे हैं और यह कि सारे सबूतों को इकट्ठा करके

किसी को सजा दिलाना बड़ा मुश्किल काम है तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वे सदन को आश्वासन देंगे कि जिन चार मामलों की ओर मैंने ध्यान दिलाया था'''

श्री मोरारजी देसाई : किन चार के मामले थे ?

श्री मधु लिमये : नाम चाहिएं । किलाचंद, देवचंद, अमींचन्द प्यारेलाल'''

MR. SPEAKER : He put a question in the middle and he starts answering it. where do I come in ? It is not proper.

श्री मधु लिमये : मैं तो नाम नहीं देना चाहता था इसलिए अपने से मैंने वह नाम नहीं लिये थे । बाकी वह चार नाम तो आ गये हैं और बार-बार उन्हें कहने से कोई फायदा नहीं ।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह सदन को आश्वासन देंगे कि इनकमटैक्स ऐक्ट की 277 धारा के तहत वह इन चार व्यक्तियों के खिलाफ, मुकद्दमें दायर करने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अगर कानून के मातहत उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकेगी और वह माकूल समझी जायेगी तो जरूर की जायगी ।

SHRI S. R. DAMANI : In the Finance Bill a time limit for completing assessment has been fixed which is a very welcome gesture. In cases responed, has any time-limit been fixed for completion of assessment ? If so, what are the details ?

SHRI K. C. PANT : Normally a time-limit is fixed for original assessment. It used to be four years ; now it is two years after the completion of the year. I am not very clear that there is a timelimit in responed cases.

SHRI SAMAR GUHA : Is it a fact that after the introduction of the audit type of assessment of tax, there has been concealment of real taxes paid by certain industries ? Is it also a fact that in assessments made by the income-tax offices in West Bengal (Calcutta) and in Orissa, it was found that Rs. 30 lakhs of tax had been concealed by such industries during the last three months ?

SHRI K. C. PANT : I am not very clear about the question. The audit type of assesment is related to excise duties, not to income-tax at all. Therefore, the question does not arise.

Application of Gift Tax Act to Agriculturists

*1652. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that agriculturists who have not even been income-tax assessees are not exempted from the provisions of the Gift Tax Act while transferring their properties ;

(b) whether it is causing great hardship to agricultural ryots who for several considerations have to transfer their properties to their progeny ;

(c) whether the desirability of making a provision in the Act exempting purely agricultural people from the application of the Act has been examined ; and

(d) if so, with what results ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SARI K. C. PANT) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. Gift tax is leviable only on gifts in excess of Rs. 10,000. Moreover no Gift Tax is payable on gifts upto 10,000 to relatives dependent on the donor if the gift is on the occasion of the marriage of the dependent. Reasonable amounts of gifts for the education of the donor's children are also exempt. A gift to a spouse upto Rs. 50,000 is also exempt from gift-tax.

(c) and (d). As Gift Tax was introduced to check evidence of other Direct Taxes and more particularly Estate Duty, which is also leviable on agricultural land, the question of exempting agricultural prorerty from Gift Tax does not arise.

श्री बेणीशंकर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्रीजी जानते हैं कि इनकमटैक्स ऐक्ट की धारा